Commonwealth Human Rights Initiative

Jail Mail

Prison Reform Updates

अक्टूबर 20, 2015

प्रिय साथियों

सी.एच.आर.आई. के ओर से नमस्कार।

हमें ख़ुशी हैं हमारी नयी रिपोर्ट ***लापता जाफ्ता: ए स्टडी ऑन राजस्थानस् कोर्ट प्रॉडक्शन सिस्टम*** आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए।

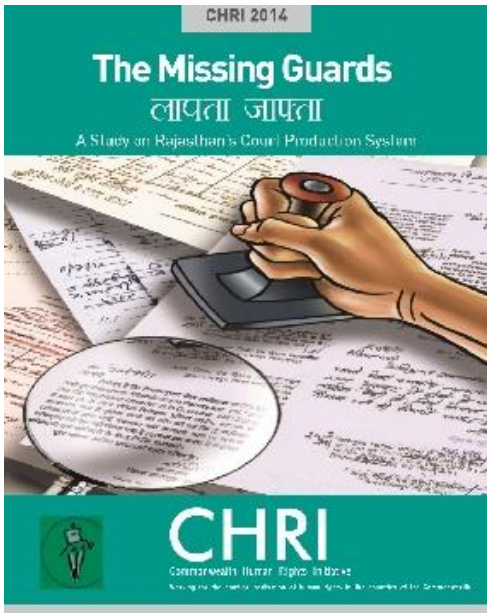

राजस्थान में प्रतिदिन 2500 से ज्यादा बंदियों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के निर्देश होते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से कम से कम एक तिहाई बंदी निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश नहीं हो पाते। निर्धारित तारीख को अदालत में पेश ना करने पर बंदी के इस अधिकार का हनन होता है, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित देरी होती है और विधि-व्यवस्था का उल्लंघन होता है।

विचाराधीन कैदियों को निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश ना कर पाने का प्रमुख कारण पुलिस जाफ्ता की कमी है जो राज्य में लंबे समय से चली आ रही है। बीते बीस सालों में राजस्थान के जेलों में बंदियों की संख्या में 150 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन बंदियों को अदालत तक लाने- ले जाने वाले पुलिस एस्कार्ट बल की संख्या उतनी ही है जितनी कि सन् 1970 में थी।

अपने शोध-अध्ययन के आधार पर सी.एच.आर.आई. ने सरकार के दाइत्व के तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (Civil Writ 6459/2014) दाखिल की।

हमारे प्रेस वक्तव्य के लिए यहाँ क्लिक करे।

आप क्या कर सकते है:

आप मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकते हैं की बंधी अपने निर्धारित तारिख में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान करना राज्य की ज़िम्मेदारी है तथा राज्य को कोर्ट पेशी के लिए उपयुक्त मॉडल में बिना विलम्भ निवेश करना चाहिए।

सना दास
संयोजक, जेल सुधार कार्यक्रम

PRISON NEWS

Kerala Prison to Have Exclusive Third Gender Block

NDTV (PTI)

THIRUVANANTHAPURAM: In a first, a block exclusively to house transgenders is coming up in a high security prison in Thrissur in an effort to protect their privacy and human rights.

छत्तीसगढ़ के जेल में अत्याचार, डीजीपी को राष्ट्रीय आयोग की नोटिस

नई दुनिया

रायपुर: छत्तीसगढ़ के जेलों में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की शिकायत के बाद दिल्ली के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग ने छत्तीसगढ़ पुलिस को नोटिस भेजा है

Around 20 undertrials battered at Colvale 'correctional home'

The Times of India

MAPUSA: Around 20 undertrials, most of them foreigners, were allegedly brutally assaulted by jail officials at the Colvale prison on Sunday.

Undertrial found dead in Faridabad prison, family alleges

Business Standard (PTI)

A 24-year-old undertrial was found dead in prison premises here, with his family members alleging that he was brutally beaten up by the police.

Four Cops Slipped Gangster Out of Prison for Leisure Trips, Fired

Nazia Sayed, *Mumbai Mirror*

MUMBAI: Four police constables have been sacked for sneaking Chhota Rajan gang member Satish Kalia out of Arthur Road Jail for multiple leisure trips and doing other favours for him.

Reforms Push to End Endless Wait for Prisoners of Bureaucracy

Yatish Yadav, *The New Indian Express*

NEW DELHI: Though prison is a state subject under list II of the 7th Schedule of the Constitution, the Centre plays a key role in repatriation of foreigner prisoners.

Losing ground to 'good news only'

Sana Das, *Deccan Herald*

In a twist away from constitutional guarantees that direct public gaze on to those unfortunates who are segregated from society in prisons, the Ministry of Home Affairs issued an advisory/ notification on July 24 for regulating jail visits of individuals/ NGOs/ company/ press that places excessive restrictions on freedom of the press and researchers in the garb of "allowing" them.

विचाराधीन कैदी ने रोहिणी जेल में खुद को फांसी लगाई

समय Live

अपने अपहरण और हत्या से जुड़े एक मामले में परिणाम को लेकर चिंतित 25 वर्षीय एक विचाराधीन कैदी ने रोहिणी जेल में कथित तौर पर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि कैदी की पहचान कुलदीप के तौर पर की गई है। वह एक बच्चे के अपहरण और आत्महत्या के मामले का सामना कर रहा है जो पिछले साल समयपुर बादली स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज कराया गया था।

'जेल मेल' के बारे में

सी.एच.आर.आई. की 'जेल मेल' जेल सुधार से सम्बंधित मुद्दों की एक श्रंखला है। यह उन पाठकों के लिए समय समय पर लायी जायेगी जो कैदियों के अधिकारों और जेल सुधार विषय में दिलचस्पी रखते हैं। जेल, जो की पारंपरिक रूप से एक अपारदर्शी संस्था है, जिसे पारदर्शी बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सिविल सोसाइटी इसके प्रबंधन और निगरानी में शामिल हो जिससे कैदियों के अधिकारों को व्यवहारिक रूप से सुनिश्चित किया जा सके। 'जेल मेल' सिविल सोसाइटी और जेलों के रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों को संवाद के लिए आमंत्रित करता है।

'जेल मेल' में सी.एच.आर.आई. के जेल सुधार कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित शोध एवं अन्य रिपोर्ट, संबंधित पक्षों के साक्षत्कार, कैदियों के कल्याण से संबंधित मामलो एवं भारत और विश्व में जेलों की स्थिति पर लेखों का प्रकाशन किया जाएगा। मामलों की गंभीरता और पाठकों की दिलचस्पी के हिसाब से 'जेल मेल' के प्रकाशन की आवृति होगी।

सी.एच.आर.आई. और जेल सुधार कार्यक्रम के बारे में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानव अधिकारों को व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित करना है। सी.एच.आर.आई. का गठन 1987 में राष्ट्रमंडल संस्थाओं द्वारा किया गया था। वर्ष 1993 से इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है तथा इसके कार्यालय अकरा, घाना और लंदन में हैं।

सी.एच.आर.आई. जेल सुधार पर पंद्रह वर्ष से काम कर रहा है। जेल सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर विचाराधीन समीक्षा समितियां और जेल पर्यवेक्षक व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ ही, खासतौर से राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इनका उद्देश्य है कि सुनवाई पूर्व निरोध अनावश्यक न हो। यह कार्यक्रम विदेशी कैदियों के समयपूर्वक पर्यावर्तन की हिमायत एवं शरणार्थियों के कारावास का विरोध करता है।

कार्यक्रम की नियमित गतिविधिया इस प्रकार हैं : तथ्य आधारित शोध तथा उसका पक्ष समर्थन, नीतिगत वकालत एवं न्याय प्रणाली से जुड़े कार्यकर्ता, जैसे की जेल अधिकारी, कल्याण और परिवीक्षा अधिकारी, फौजदारी वकील, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता अधिकारी और सिविल सोसाइटी कार्यकर्ता, का कौशल विकास।

संपर्क करें
कॉमनवेल्थ ह्यमन राइटस इनिशिएटिव
जेल सुधार कार्यक्रम
55 ए, तीसरी मंज़िल सिदधार्थ चैम्बर्स- 1
कालू सराय, नई दिल्ली 110016
भारत
दरभाष : +91 11 43180200
फैक्स : +91 11 43180217
chriprisonsprog@gmail.com
www.humanrightsinitiative.org